



हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक मंडल की विविधता पर नीति

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची II, भाग डी, ए(3) के साथ विनियम 19(4) के अनुसार]

(28 जून, 2024 को आयोजित 'नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' की 18^{वीं} बैठक और बोर्ड की 669^{वीं} बैठक द्वारा अनुमोदित)

क. परिचय

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको या कंपनी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में एक नवरत्न सीपीएसई है। हडको के इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। हडको आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी-वित्तपोषण सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

ख. उद्देश्य

निदेशक मंडल की विविधता पर यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग डी, ए (3) के अनुसार तैयार की गई है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसकी समीक्षा की जाएगी।

हडको प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखने के लिए विविधता बोर्ड के महत्व से परिचित है और उसे अपनाता है। एक सच्चा विविधता वाला बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों के विभिन्न कौशल, योग्यता, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अनुभव, भौगोलिक और उद्योग अनुभव, जातीयता, लिंग, ज्ञान और सेवा की अवधि और अन्य विशिष्ट गुणों का उपयोग करके निर्णयों की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा।

इस नीति का उद्देश्य यह है कि कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का सर्वोत्तम उत्कृष्टता शामिल हो, जिसमें महिला निदेशकों सहित विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशासन, परिचालन, वित्त, प्रबंधन, कानून, आईटी आदि में कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में कौशल/विशेषज्ञता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति शामिल हों, जो संगठन को रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करें।

ग.

बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति

निदेशक मंडल की संरचना में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का सर्वोत्तम संयोजन होगा, जिसमें कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होगी, और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे; जहां निदेशक मंडल का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है, वहां निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। हडको के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने/हटाने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका प्रयोग प्रशासनिक मंत्रालय यानि भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति को लागू वैधानिक प्रावधानों, नियमों, विनियमों और दिशानिदेशों आदि के अधीन कार्यात्मक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशकों के कार्यालय में किसी भी रिक्ति को भरने का अधिकार होगा।
